

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर फलौदी

राजूराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी सांगुरी पुलिस थाना बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी	बनाम	राज्य सरकार
--	------	-------------

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (क) राजस्थाना गोवंशीय पशु अधिनियम 1995

प्रकरण नंबर:- 06 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बाप से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी प्राप्त हुई। अप्रार्थी को बहस हेतु पांबद किया गया। बावजूद अप्रार्थी न तो स्वयं एवं न ही उनके ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी की ओर से श्री अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना बाप द्वारा प्रार्थी का ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 2742 को थाना पुलिस बाप ने बतौर वजह सबूत अपने कब्जे में ले रखा है। प्रार्थी उक्त ट्रैक्टर का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी ने उक्त ट्रैक्टर में राजस्थान क्षेत्र से किसी भी गोवंशीय पशु को राजस्थान क्षेत्र से बाहर अन्य राज्य में नहीं ले जा रहे थे और ना ही ब्रूता कर रहे थे। उक्त ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 2742 थाने में रखने से उसके मशीनरी व टायर ट्यूब खराब होने की पूर्ण संभावना है और मूल प्रकरण में निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः निवेदन है कि वाहन की सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खेती में उपयोग करने हेतु ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 2742 को सुपुर्दगी पर दिए जाने की इस्तुदआ की गई। संबधित पुलिस थाना अधिकारी बाप या अभियोजन अधिकारी बावजूद सूचना न्यायालय में बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। पुलिस थाना बाप से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में कथन किया गया है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 6 (क) वाहन को अधिहरण रखने हेतु श्रीमान प्राधिकृत है। आरोपीगण को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप में विचाराधीन है। अनुसंधान में जब्त वाहन संख्या ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 2742 की तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है। उक्त वाहन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। वाहन की सुपुर्दगी दी जा सकती है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक जब्ती वाहन सुपुर्दगी पर डिये जाने अथवा अधिहरण रखने का बिन्दु है। इस संबध में थानाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वाहन ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 2742 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। वाहन गोवंश ब्रूता करने के लिए उपयोग में आने के कारण जब्त किया गया है। इसका आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है इसलिए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन)</p>	

जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

अधिनियम 1955 की धारा 6 क (2) के संदर्भ में यदि वाहन का स्वामी अधिहरण के बदले जुर्माना राशि जमा करवाता है, तो वाहन का अधिहरण से मुक्त किया जा सकता है। प्रकरण में पुलिस थानाधिकारी जाम्बा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं रिपोर्ट दिनांक 28.10.2023 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट होता है कि अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है एवं अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जब्तसुदा ट्रैक्टर घटना के समय अभियुक्त रुघनाथराम पुत्र राजूराम द्वारा चलाया जा रहा था और ट्रैक्टर को पीछे दौड़ाकर गौवंश की प्रति क्रूरता किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। मामले में अपराधिक प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा उक्त वाहन सीज किये जाने के सम्बन्ध में न तो समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही वाहन को अधिहरण किये जाने के संबन्ध में थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो कि राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त वस्तुस्थिति जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी को ध्यान में लाये जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

अधिनियम की धारा 6 क (2) के परन्तुक के अनुसार वाहन स्वामी को वाहन के अधिहरण से पूर्व अधिहरण के बदले जुर्माना राशि जमा करवाई जाने का विकल्प दिए जाने का प्रावधान है। अपराधिक न्यायालय में प्रकरण वर्तमान में लम्बित है एवं चालान प्रस्तुत किए जाने का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जा चुके हैं।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि उक्त वाहन मालिक राजूराम पुत्र देवाराम निवासी सांगुरी पुलिस थाना बाप, जिला फलौदी को उनके द्वारा जुर्माना राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे- पचास हजार रुपये) जमा करवाने पर मय शपथ पत्र इस शर्त के साथ कि इससे सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक इस न्यायालय / अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वाहन तलब करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वाहन का विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं करेंगे, वाहन का किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं करेंगे, उक्त वाहन को वाहन मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 23/02/2025 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

पुलिस थाना बाप की केस डायरी पुनः लौटायी जावे।

निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक फलौदी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।



जिला न्यायालय
फरौज़ी (राज.)